



- के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकारण बॉच () के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा संभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ऊँचा करें उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान भी अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिसपर संबन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है।
 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की संभावना होती है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय स्वयं करायेगा।
 17. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
 18. वन विभाग का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों को पूरा पालन कर लिया जाय।

मैं उप-मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, मुरादाबाद यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(राजीव यादव)

उप-मण्डलीय अभियन्ता,
दूर संचार परियोजना,
मुरादाबाद।